Attacks on Christians in Gujarat

*26. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI AKHILESH DAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether, despite all assurances of due security and safety to minorities and declarations by the Union Government at different levels to ensure freedom of religion, faith, belief and worship, attacks by the so called Bajrang Dal activists on Christian Schools, Missions and Missionaries on Christmas and New year Eve continued to be reported from Gujarat; and

(b) if so, the steps taken and directions issued by Government to prevent such atrocities and harassment of minorities and to ensure full freedom of practice and propagation of all religions, in States and Union Territories?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b) Some incidents of attack on Christians and their institutions in Gujarat were reported during the last week of December, 1998.

Though 'Public Order' and 'Police' are State subjects as per the Constitution of India and maintenance of law and order and prevention of crime is primarily the responsibility of the State Governments, the Central Government has been taking several measures to keep the communal situation under control. A Central Team was deputed to Gujarat on December 30, 1998 to interact with senior State Government functionaries and to ascertain the steps taken by the State authorities to control the situation. The Central Team recommended various confidence building measures to defuse the situation and to ensure communal harmony. Based on the report of the Central Team, appropriate instructions were issued.

After the recent incidents involving Christians, the Chief Secretaries of the concerned States have been advised to instruct the district and law and order enforcing authorities to respond immediately to the complaints relating to harassment of minorities and initiate prompt and effective action to identify and punish guilty persons.

The Government is firmly of the view that acts of violence against any community, wherever and in whatever form they occur, must be dealt with sternly and exemplary punishment awarded to the perpetrators of such violence.

गुजरात की ग्रामीण विकास परियोजनाओं में कटौती

*28. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की गुजरात से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के योजना परिव्यय में बहुत अधिक कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में सहायता/समर्थन प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) मंत्रालय के प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा निर्धारित आबंटन के मानदण्डों (गरीबी अनुपात पर आधारित) के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत गुजरात को केन्द्रीय आबंटन योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 1987-88 में 28.67 प्रतिशत से घटकर 1993-94 में 22.18 प्रतिशत रह जाने के कारण वर्ष 1997-98 के दौरान 24105.60 लाख रुपए से घटाकर वर्ष 1998-99 के दौरान 18929.98 लाख रुपए कर दिया गया है। तथापि यह सुनिश्चित किया गया है कि कृतिक बल की प्रणाली के अनुसार आबंटन में किसी भी राज्य को उसके अंश के 15% से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए

जो उसे 1993-94 के गरीबी अनुपात के आधार पर प्राप्त हो गया होता।

(ग) जी। नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरण आपूर्ति में विलम्ब

*29. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उपकरण आपूर्ति में विलम्ब करने के कारण कई विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है या विलम्ब हो रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (ग) उपस्कर की विलम्ब से आपूर्ति से सामान्यतः परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है। तथापि, उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब का एकमात्र जिम्मेवार आपूर्तिकर्त्ताओं को ही नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार सभी परियोजनाओं की गहन रूप से मानीटरिंग कर रही है तथा उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई कर रही है जिसमें निर्माताओं के साथ सम्पर्क करना तथा अन्य अवरोधों को दूर करना शामिल है। नौवीं योजना की जो परियोजनाएं उपस्कर की देर से आपूर्ति करने के कारण विलम्बित हुई हैं/हो रही हैं, वे निम्नलिखित हैं:—

(i) संजय गांधी विस्तार टीपीपी (2 × 210 मे०वा०)

(ii) बज-बज टीपीएस (2 × 250 मे०वा०)

(iii) मेजिया टीपीएस (3 × 210 मे०वा०)

(iv) ब्रह्मपूरम डीजी सैट (5 × 20 मे०वा०)

(v) कथालगुड़ी सीसीजीटी (2 × 33.5 मे०वा० + 3 × 30 मे०वा०)

टिहरी बांध को पूरा किया जाना

*31. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टिहरी बांध को पूरा करने के लिए वर्ष 2002 तक की समय सीमा तय की है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्य के लिए 25 प्रतिशत राशि का अंशदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना था, यदि हां, तो क्या वह अपना वार्षिक अंशदान कर रही है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से अंशदान प्राप्त किए बिना भी केन्द्र सरकार ने इसे पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि जुटाने का प्रबंध कर लिया है; और

(घ) दिसम्बर, 1998 तक इस बांध पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है और आगामी तीन वर्षों में अन्तिम रूप से कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (घ) टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 को वर्ष 2002 तक पूरे किए जाने का कार्यक्रम है।

परियोजना को इस तरह से डिजाईन किया गया है कि वह सिंचाई के साथ-साथ विद्युत लाभ भी प्रदान करेगी। सिंचाई घटक की लागत पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। तथापि, विद्युत घटक के बारे में, लागत की भागीदारी भारत सरकार और उ०प्र० सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में की जा रही है। कुल मिलाकर लागत की भागीदारी भारत सरकार और उ०प्र० सरकार के मध्य 60 : 40 के अनुपात में की जा रही है। 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार 718.66 करोड़ रुपये की देय राशि की तुलना में उ०प्र० सरकार ने 372.69 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

उ०प्र० सरकार द्वारा निधियों को निर्मुक्त न किए जाने की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की गई हैं। उ०प्र० सरकार सिंचाई घटक के लिए अपनी वित्त पोषण की देयताओं की पूर्ति करने के लिए "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अंतर्गत आंशिक वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे ताकि विद्युत घटक के संबंध